नवीन पु० - 996/16 (66)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

निगरानी -996- I -16

प्र. क्र. /2016 रिवीजन

गोविन्दराव आयु 63 वर्ष पुत्र गोपाल राव पंडित
निवासी नवांकुर वाली गली, बरेठ रोड गंज बासौदा
जिला विदिशा (म0प्र0) -- अपीलांट

बनाम

1- खूबसिंह आयु 53 वर्ष पुत्र कमरसिंह राजपूत
2- ज्ञानसिंह आयु 55 वर्ष पुत्र कमरसिंह राजपूत
दोनों निवासी ग्राम बेरखेड़ी घाट तहसील गंज-
बासौदा जिला विदिशा (म0प्र0) --रिस्पांडिन्ट

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

दिनांक 28.3.16 को श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव का0 द्वारा प्रस्तुत/ 28.3.16 S O 28.3.16

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बासौदा द्वारा
अपील क्र. 66/2014-15 मे पारित आवेदन धारा 5
अवधि विधान अधि. पर पारित आदेश दिनांक -
29.2.2016 के विरूद्ध

श्रीमान महोदय,

रिवीजन के आधार

1- यह कि अपीलांट ने ग्राम बेरखेड़ी घाट तहसील बासौदा स्थित भूमि खाता के कुल किता 10 कुल रकबा 4.262 है. मे से विक्रेता ज्ञानसिंह के खाते मे हिस्सा रकबा ~~0.4..~~ 0.4548 है. मे से 0.418 है. भूमि को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 30.4.2010 के द्वारा 1,55,000/-रू. मे क्रय किया था जिसका नामांतरण पंजी क्रमांक 10 पर दिनांक 20.7.2010 को तहसील दार बासोदा ने प्रमाणित किया है।

2- यह कि विक्रेता ज्ञानसिंह ने पंजी पर हस्ताक्षर कर मौके पर कब्जे अनुसार खाते से अपने पृथक सर्वे नम्बर 52 के रकबा 1.454 है. मे से 52/1 पर 0.418 आरे पर नामांतरण मान्य किया गया। ज्ञानसिंह को उक्त रकबा विभाजन पर प्राप्त हुआ था।

3- यहकि खूबसिंह रिस्पांडिन्ट ज्ञानसिंह का भाई है जिसका संयुक्त खाते मे हिस्सा रकबा 0.653 है. जिस पर वह आज भी आधिपत्यधारी [illegible]

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-996-I/16

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-04-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	